रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 1998/कार्तिक 8, 1920

No. 421] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 1998/KARTIKA 8, 1920

वित्त मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1998

राष्ट्रीय आवास बैंक (अधिकारी) (संशोधन) सेवा विनियम, 1998

सा.का.नि. 650 (अ).—बोर्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से और केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय आवास बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1997 का निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आवास बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1998 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (1) राष्ट्रीय आवास बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) के विनियम 3 के खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ण) "पूर्णत: आश्रित माता-पिता" से ऐसे माता-पिता अभिप्रेत हैं जिनमें किसी की या दोनों की आय 1500 रुपए प्रतिमास से अधिक न हो';

3. मूल विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (1) में, "अधिकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होगी" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अधिकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी किन्तु किसी अधिकारी का 60 वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा विस्तार नहीं किया जाएगा ।"

[फा. सं. एनएचबी (एनडी)/एसटीएफ/पीओएल 27/98]

बोर्ड के आदेश से,

पी. पी. वोरा, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक

टिप्पणी :—मूल विनियम फा. सं. एनएचबी (एनडी)/एसटीएफ/पीओएल/97 तारीख 11 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 1998

National Housing Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1998

G.S.R. 650 (E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Board, with the previous approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the National Housing Bank (Officers') Service Regulations, 1997, namely:—

1. (1) These regulations may be called the National Housing Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In the National Housing Bank (Officers') Service Regulations, 1997 (hereinafter called as "the principal Regulations"), in regulation 3, for clause (o), the following clause shall be substituted, namely:—

'(o) "Wholly dependent parents" means parents having monthly income of either or both, not exceeding Rs. 1500/- per month.';

(2) in regulation 13 of the principal Regulations, in sub-regulation (1), for the words and figures "The age of retirement of an officer employee shall be 58 years", the following shall be substituted, namely:—

"The age of retirement of an officer employee shall be 60 years but no extension shall be given to any officer beyond 60 years of age."

[F.No. NHB(ND)/STF/POL/27/98]

P.P. VORA, Chairman & Managing Director

Note:—The principal regulations were published vide F.No. NHB(ND)/STF/POL/97 dated 11-4-1997 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3—Sub-section (i).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.